सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 118 / 13 निर्णय दिनांक 23.04.2018

1. भंवरलाल पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी ग्राम राजेडू तहसील श्रीडूॅंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. जगदीश पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम राजेडू तहसील श्रीडूॅंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. प्रभूराम पुत्र खिराजराम जाति जाट निवासी ग्राम राजेडू तहसील श्रीडूॅंगरगढ़ जिला बीकानेर।(मृतक)
2. बालूराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी ग्राम राजेडू तहसील श्रीडूॅंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. भगवानाराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी ग्राम राजेडू तहसील श्रीडूॅंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूॅंगरगढ़।
5. उपपंजीयक, श्रीडूॅंगरगढ़।
6. बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा श्रीडूॅंगरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 03—09—2012
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूॅंगरगढ़

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सुरजाराम गोदारा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ़ के आदेश दिनांक 03–09–2012 जिसके द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि रौही मौजा राजेडू के गत् खसरा नम्बर 40 तादादी 89 बीघा, खसरा नम्बर 241 तादादी 99 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 246 तादादी 14 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 287 तादादी 106 बीघा कुल खसरा 4 रकबा 309 बीघा 13 बिस्वा रकबा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके भाई रामनारायण के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही थी। उक्त भूमि में से 202 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से में आई तथा उसके नाम से खातेदारी दर्ज हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त भूमि में से 39 बीघा भूमि अन्य को पूर्व में ही विक्रय कर दी गई। इस प्रकार शेष भूमि 163 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास रही है। उक्त भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 277 तादादी 1.00 हेक्टर, खसरा नम्बर 308 तादादी 0.88 हेक्टर व खसरा नम्बर 309 तादादी 2.53 हेक्टर कुल 4.41 हेक्टर भूमि अपीलांट संख्या 2 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 310 तादादी 4.78 हेक्टर पश्चिमी हिस्सा व खसरा नम्बर 42 तादादी 4.55 हेक्टर उत्तरी हिस्सा कुल 9.93 हेक्टर भूमि अपीलांट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

चूंकि उक्त भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें अपीलांट का हक व हिस्सा बाई बर्थ निहित है। इसी अनुसार अपीलांट ने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलांट्स द्वारा अपने कब्जे काश्त के संबंध में शपथ पत्र भी अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया था तथा यह भी निवेदन

किया था कि पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अदालत मातहत द्वारा न तो अपीलांट्स के शपथ पत्र पर कोई गौर किया गया व ना ही पटवारी हल्का से वादगत् भूमि की मौका रिपोर्ट ही प्राप्त की गई। अदालत मातहत द्वारा मनमाने तरीके से रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति है। जिस पर अपीलांट्स का बाई बर्थ हक व हिस्सा निहित है। उक्त तथ्य को रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने जवाब में भी स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स बाई बर्थ खातेदार काश्तकार हो गये है तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाने के अधिकारी थे व है। इसीलिए अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धोषणात्मक दावा प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में जैरकार है। यदि अपीलांट्स वादगत् भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं होते तो वह अदालत मातहत के समक्ष वाद ही क्यों प्रस्तुत करते। वादगत् भूमि पर अपीलांट् के मौके पर मकान बने हुए है। जिसमें वह परिवार सहित आबाद है। अदालत मातहत को आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी। जैसा की प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा नहीं किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट का खातेदारी रकबा है, उक्त भूमि पारिवारिक बंटवारें के तहत उनके हिस्से में आई है। जिस पर अपीलांट्स का बदस्तुर कब्जा काश्त चला आ रहा है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि का रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में किसी भी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। अतः अपीलांट्स की अपील

स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे व आदेश प्रदान किये जावे कि वादगत् भूमि से अपीलांट्स को बेदखल नहीं किया जावे व राजस्व रिकार्ड में यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबन्द किया जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी बहस में बताया कि पारिवारिक व्यवस्था के तहत सभी को एक समान भूमि दे दी गई थी। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी संख्या 1 को विक्रय पत्र दिनांक 29—11—1968 को ग्राम राजेडू के खसरा नम्बर 41 की 8.16 हेक्टर भूमि खरीद कर दे दी गई थी। जिस पर प्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त खसरे पर अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है।

इसी क्रम में अप्रार्थी संख्या 1 ने पारिवारिक बंटवारें के तहत अपनी खातेदारी भूमि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को जरिये दान पत्र व विक्रय पत्र दे दी गई थी। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जितनी भूमि प्रार्थी संख्या 1 को दी गई थी उसी अनूसार उतनी ही भूमि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को दी गई है। जिस पर प्रार्थी संख्या 1 का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है। जिस प्रकार प्रार्थी संख्या 1 को दी गई भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के हिस्से में आई भूमि पर उनका निरन्तर कब्ज काश्त चला आ रहा है। यदि प्रार्थी संख्या 2 द्वारा किसी प्रकार की मांग भी की जा रही है तो वह प्रार्थी संख्या 1 के हक व हिस्से की भूमि तक ही मांग कर सकता है।

वादगत् भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3/रेस्पोडेन्ट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिस पर अपीलांट्स का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है तथा स्वयं काबिज होकर काश्त कर रहे है। इसीलिए प्रार्थीगण/अपीलांट्स का का वादगत् भूमि पर कोई कब्जा काश्त व हक व हकूक निहित नहीं होने के कारण प्रार्थीगण/अपीलांट्स का वादगत् भूमि के बाबत् प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति कारित नहीं होती है।

अपीलांट्स द्वारा न तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे वादगत् भूमि पर उनका कब्जा काश्त साबित हो। चूंकि रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि वादगत् भूमि रौही मौजा राजेडू के गत् खसरा नम्बर 40 तादादी 89 बीघा, खसरा नम्बर 241 तादादी 99 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 246 तादादी 14 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 287 तादादी 106 बीघा कुल खसरा 4 रकबा 309 बीघा 13 बिस्वा रकबा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके भाई रामनारायण के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही थी। उक्त भूमि में से 202 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से में आई तथा उसके नाम से खातेदारी दर्ज हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त भूमि में से 39 बीघा भूमि अन्य को पूर्व में ही विक्रय कर दी गई। इस प्रकार शेष भूमि 163 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास रही है।

उक्त भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 277 तादादी 1.00 हेक्टर, खसरा नम्बर 308 तादादी 0.88 हेक्टर व खसरा नम्बर 309 तादादी 2.53 हेक्टर कुल 4.41 हेक्टर भूमि अपीलांट संख्या 2 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 310 तादादी 4.78 हेक्टर पश्चिमी हिस्सा व खसरा नम्बर 42 तादादी 4.55 हेक्टर उत्तरी हिस्सा कुल 9.93 हेक्टर भूमि अपीलांट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अपीलांट्स

द्वारा वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने बाबत् धोषणात्मक दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति है जिस पर अपीलांट्स का बाई बर्थ हक व हिस्सा निहित है। इस संबंध में उनके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। जबकि रस्पोडेन्ट्स का कथन है कि अपीलांट्/प्रार्थी संख्या 1 को पूर्व में ही उसके हिस्से तक की भूमि जरिये विक्रय पत्र ग्राम राजेडू के खसरा नम्बर 41 की 8.16 बीघा भूमि दी जा चुकी है व उतनी ही भूमि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को प्रदान की गई है। जिस पर सभी पक्ष अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त है। इसलिए अपीलांट्स का वादगत् भूमि पर कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष उपलब्ध राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी संवत् 2065–2068 के अनुसार विवादति भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार माना गया है। अपीलांट्स द्वारा न तो अदालत मातहत के समक्ष न ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है जिससे वादगत् भूमि पर उनका कोई हक व हिस्सा निहित माना जावें। केवल मात्र मौखिक कथन व शपथ पत्र के आधार पर वे वादगत् भूमि पर अपने हक व हकूकों को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

(4) अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर वादगत्

भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम किये जाने की इस्तदुआ की गई। अदालत मातहत द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् वादगत् भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट्स/अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को विवादित भूमि के काश्तकार व काबिज काश्त माना है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में साबित होने से अपीलांट/प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करनें में कोई त्रूटि कारित नहीं की गई है। लिहाजा अदालत मातहत का आदेश न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश है जिसमें अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीडूॅंगरगढ़ का आदेश दिनांक 03—09—2012 बहाल रखा जाता है

8. निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर